न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–37 / 2019

धारा–107 द०प्र०सं०

गंधारी कुमारी .....प्रथम पक्ष

बनाम

सीता देवी.....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
14/10/2019	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी संख्या–04 / 19 दिनांक–28 / 02 / 2019 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभय पक्ष में आपस में गाली–गलौज एवं मारपीट को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि द्वितीय पक्ष की सीता देवी मेरे साथ गाली–गलौज एवं मारपीट की है, जिसके संबध में धारा–323 / 341 / 307 / 504 भा०द०वि० के तहत मामला न्यायालय में चल रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि जख्मी होने के बाद सामुदायिक भवन, सोनाहातु में ईलाज कराया। बाद में सही ईलाज के लिए Rajendra Institute of Medical Science (RIMS) Ranchi भेजा गया। प्रस्तुत वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष को मारपीट कर घायल किया गया। उसने बचने के लिए द्वितीय पक्ष पर एक झूठा मुकदमा दर्ज की गई। प्रथम पक्ष गवाह संख्या–1:– लखीमनी देवी, पिता–श्री पदो महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं इस केस के दोनों पक्षों को जानती हूँ।इस केस को गंधारी की है। सीता देवी के ऊपर की है। मारपीट का कारण केस ही है। मारपीट के बाद गंधारी को थाना लेकर फिर अस्पताल लेकर गए। उसके बाद राँची लेकर गए। अस्पताल का नाम नहीं जानते है। अभी भी गंधारी को सीता देवी से डर बना हुआ है। अभी भी सीता देवी हो हल्ला करती है। सीता देवी मेरी पोतहू लगती है। गंधारी मेरी नातीन लगती है। मारपीट के समय मैं वहाँ थी, घटना मैनें अपनी आँखों से देखा है। मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्ष के बीच कोई झगड़ा–झंझट नहीं हुआ है। अभी भी दोनों पक्ष के बीच मारपीट की संभावना है। प्रथम पक्ष गवाह संख्या–2:– रजनी कुमारी, पिता–धनंजय महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं इस केस के दोनों पक्षों को जानती हूँ। यह केस गंधारी की है, सीता देवी पर की है। सीता देवी बदनामी करती है। इसलिए केस की है। सीता देवी मारपीट की है। हाथ से मारपीट की है। गंधारी कुमारी को चोट नाक में, कपार में, गाल में, पूरा चेहरा में लगा था। सीता देवी, गंधारी कुमारी को पटकी थी। जब पटकी थी, तब गिरी थी। चोट लगने से चेहरा से खून निकल रहा था।अभी सीता देवी हल्ला करती है। अभी गंधारी कुमारी को सीता देवी से डर है। झगड़ा से संबंधित और केस राँची में हुआ है। गंधारी कुमारी मेरी अपनी बहन है। इस घटना के पहले दोनों पक्ष में कभी झगड़ा या केस मुकदमा नहीं हुआ है। गाँव घर में गंधारी कुमारी का व्यवहार ठीक है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह :– गंधारी कुमारी पिता–धनंजय महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं इस केस को की हूँ। यह केस सीता देवी के उपर की हूँ। सीता देवी मुझे मारी थी। हाथ और नाखुन से मारी थी। मुझे आँख के नीचे और नाक में चोट लगा। उसके बाद मुझे उठाकर पटक दी। रोड में पटक दी। मेरा दाँत टुट गया। यह घटना 02 / 02 / 2019 की है। घटना 8 बजे सुबह की है। मुझे उठाकर राहे ओ०पी० ले गये जहाँ से मुझे सोनाहातु अस्पताल भेजा गया जहाँ मेरा उपचार हुआ और RIMS भेज दिया गया। RIMS से एक दिन के बाद छुट्टी दे दिया गया। सीता देवी मेरा बदनामी करती है।अभी गाली देती है। अभी भी मुझे सीता देवी से डर है। इस झगड़ा के संबंध में सीता देवी के उपर Civil Court में भी केस चल रहा है।	

तिथि	आदेश

सीता देवी अभी भी गाली–गलौज करती है। गाली–गलौज की तिथि याद नहीं है। सीता देवी लड़का–लड़की का आरोप लगाकर मुझे बदनाम करती है। अभी फिलहाल तीन महीना के अंदर सीता देवी मुझसे कोई झगड़ा नहीं की है।

द्वितीय पक्ष गवाह संख्या–1:– लम्बोदर महतो पिता–धनंजय महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ। यह घटना 02/02/19 की है। समय 7:20 सुबह में Start हुआ था। घटना की तिथि को मारपीट हुई थी। गंधारी कुमारी पहले हाथ उठाई तब सीमा देवी अपने बचाव के लिए हाथ को रोक ले रही थी। गंधारी कुमारी अपने गिरी थी। पी०पी०सी० रोड में गिरी थी। इसलिए दाँत टूट गया था। घटना के दिन से आज तक द्वितीय पक्ष सीता देवी के द्वारा कोई लड़ाई–झगड़ा, मारपीट नहीं किया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत जो केस चल रहा है, उसमें द्वितीय पक्ष ने जमानत लिया है। मैं ही उनका जमानतदार हूँ। यह बात सही है कि पी०पी०सी० रोड में गिरने से गंधारी कुमारी का दाँत टुटा और खुन भी निकला था। यह जानकारी मुझे है कि प्रथम पक्ष सोनाहातु सामुदायिक अस्पताल एवं RIMS में ईलाज करवाई है।

द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह:– सीता देवी, पति–गौरांग महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि हमपर गंधारी कुमारी केस की है। घटना 02/02/2019 की है। जब मैं घटना स्थल पर गई तो गंधारी कुमारी के द्वारा गाल पर थप्पड़ मारा गया और रजनी कुमारी के द्वारा बाल खींचा गया और मैं गिर गई।इसके बाद गंधारी कुमारी मुझपर गिर गई। गिरने से गंधारी कुमारी का दाँत टुट गया। जिसमें उसके मुँह से निकला खून को चेहरे पर लगाकर केस करने थाना चली गई थी। घटना 02/02/2019 की है, जो सही है। यह सत्य है कि गंधारी कुमारी का दाँत टुट गया था। मैं गंधारी कुमारी के साथ मारपीट की हूँ, जिसके बाद वह पी०सी०सी० रोड पर गिर गई और उसका दाँत टुट गया।

मेडिकल रिपोर्ट–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनाहातु, राँची के द्वारा गंधारी कुमारी का प्राथमिक जाँच के बाद Rajendra Institute of Medical Science (RIMS) Ranchi भेजा गया। जिसके द्वारा Rajendra Institute of Medical Science (RIMS) Ranchi के द्वारा निम्न रिपोर्ट दिया गया–

Rajendra Institute of Medical Science (RIMS) Ranchi

NAME	GANDHARI KUMARI	STUDY DATE:-	03-02-2019 11:07:05
AGE	025 Yrs	HOSPITAL NO.	JRAN0069066
SEX	F	MODALITY	CT
REPORTED ON	05-02-2019 15:29:32	REFERRED BY	EMERGENCY

NCCT BRAN

Brain parenchyma appears normal in attenuation values.
All cortical sulci and basal cisterns are normal.
All ventricls are normal.
Pons, midbrain and medulla appears normal.
Cerebellum appears normal.
Calvarium and base of skill appears normal.
Deviated nasal septum towards right with bony spur abutting right inferior turbinate.
INPRESSION:

Brain and calvarium normal study.

आदेश

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि गंधारी कुमारी और सीता देवी के बीच गाली–गलौज एवं मारपीट हुआ है, जिसमें गंधारी कुमारी का दाँत टुट गया है। वर्तमान में उभय पक्षों के बीच धारा–323/341/307/504 भा०द०वि० के तहत Civil Court (व्यवहार न्यायालय) में मामला चल रहा है। भविष्य में शांतिभंग होने की संभावना है।

अतः द्वितीय पक्ष सीता देवी को एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने उनसे 50,000/– (पचास हजार) रूपये का बंधपत्र उसी राशि में दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

29/10/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

29/10/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.11 14:50:19 +05:30
Location: 10.93.79.5